

चित्रकूट-पुलिस



(1). नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/ 'शिक्ति दीदी' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 18.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया। महिलाओं/बालिकाओँ को ''मिशन शक्ति'' व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई। इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित ''एंटी रोमियो स्क्वायड'' टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की

(2). आज दिनाँक 18.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओं एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

- (3). आज दिनाँक 18.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
- (4). जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शिवशरणप्पा जी0एन0 एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह द्वारा कानून व्यवस्था,अभियोजन तथा नारकोटिक्स के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने संमन/तामिला के संबंध में सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि तिमला में प्रगित कराए। गवाहों की उपस्थित के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि जो उपस्थित होनी चाहिए वह नहीं है, इस पर सभी थाना प्रभारी विशेष फोकस कर उपस्थित कराए।

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट ने कहा कि जो टॉप 10 अपराधी चिन्हित है, इसमें सक्रिय होकर न्यायालय में हाजिर कराए क्योंकि उनकी मॉनिटिरिंग एडीजी के यहां से भी होती है। कार्य न करने पर संबंधित प्रभारियों/थानाध्यक्षों के ऊपर कार्यवाही होगी।

ओवरलोडिंग व खनन के संबंध में जिलाधिकारी ने कहा कि पुलिस, राजस्व एवं खनन की संयुक्त टीम महीने में दो-तीन बार अभियान चलाकर चेकिंग कराए। आबकारी अधिकारी को निर्देशित किया की आबकारी व पुलिस की संयुक्त रूप से छापामारी करें। किसी प्रकार की जहरीली शराब नहीं बिकनी चाहिए। सड़क सुरक्षा के संबंध में उन्होंने कहा कि सधन अभियान चलाकर चेकिंग करें। जिलाधिकारी ने शासकीय अधिवक्ताओं से कहा कि किसी प्रकार की समस्या है तो बताएं आप लोग कार्य योजना बनाकर कार्य करें, तो प्रगति हो पाएगी। बैठक में एससी/ एसटी एक्ट, पास्को एक्ट, दहेज अधिनियम, आयुध अधिनियम, महिलाओं एवं बालिकाओं के विरुद्ध अपराध, आईपीसी धारा, सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय, अन्य अधिनियम, समन तामीला, गवाहों की उपस्थिति, जमानत, एनडीपी एक्ट आदि बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई।

तत्पश्चात महोदय द्वारा 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा व 22 जुलाई को श्रावण मास प्रारंभ के संबंध में परिक्रमा मार्ग, रामघाट पालेश्वर नाथ, परानु बाबा (चर), सोमनाथ मन्दिर के व्यवस्थाओं के बारे में निर्देशित किया कि जनपद के प्रमुख मंदिरों में साफ सफाई, पार्किंग की व्यवस्था, लाइट आदि व्यवस्थाओं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुरुष व महिला की अलग-अलग लाइन होनी चाहिए। कहा कि प्रमुख मंदिरों में पुलिस की व्यवस्था कुछ शादे ड्रेस में होनी चाहिए किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजापुर में तुलसी महोत्सव का भी आयोजन होता है। उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कराए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जो कावड़ यात्रा राजापुर व बांदा से आते हैं। उनकी संयोजक से बात कर ले एवं बॉर्डर टू बॉर्डर पर रिसीव कराए। उन्होंने कहा कि धारकुंडी आश्रम में गुरु पूर्णिमा के दिन भीड़ होती है, वहां पर भी सुरक्षा बल की व्यवस्था होनी चाहिए। त्योहारों को देखते हुए उन्होंने कहा कि स्काई ब्रिज पर भीड़ की संभावना बढ़ सकती है, वहां पर भी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए। उन्होंने एआरटीओ को निर्देशित किया कि शासन का भी निर्देश है कि ट्रैक्टर से भीड़ नहीं आनी चाहिए कहा कि सभी थाना प्रभारी एवं थानाध्यक्ष सतर्क रहे एवं वही पर रुकवा कर चालान कराए। उन्होंने सभी थाना प्रभारी/थानाध्यक्षों को कहा कि मानिकपुर की घटना की तरह नहीं होनी चाहिए, इसमें सभी लोग अलर्ट रहे।

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री उमेश चंद्र निगम, अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, जेस्ट अभियोजन अधिकारी श्री दिनेश त्रिपाठी, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुंदर मिश्रा, जिला आबकारी अधिकारी श्री अखिलेंद्र सिंह, जिला खनिज अधिकारी श्री सुधाकर सिंह, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय,क्षेत्राधिकारी नगर श्री राजकमल,क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, एवं थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष रहें।

(4). आज दिनाँक-18.07.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में मासिक अपराध गोष्ठी आयोजित की गयी। अपराध गोष्ठी में सर्वप्रथम सैनिक सम्मेलन कर अधिकारी/कर्मचारीगण की समस्याओं की जानकारी कर सम्बन्धित को उचित निस्तारण किये जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। मीटिंग में उपस्थित सभी थाना,चौकी/शाखा प्रभारियों के कार्यों का मूल्यांकन कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

अपराध गोष्ठी में महोदय द्वारा थाना/चौकी प्रभारियों को निम्नलिखित दिशा-निर्देश दिये गये:-

- (i). श्रावण में मास कांवडियों के निकलने वाले मार्ग में उनकी सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित व्यवस्थापन,नदी/घाट/तालाब एवं शिवालय/शिव मंदिर का थानावार विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया।
- (ii). पुराने लम्बित मुकदमों सिहत वर्ष 2024 में पंजीकृत मुकदमों की गुणवत्तापूर्ण विवेचना के साथ शीघ्र निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।
- (iii). बंदशुदा हिस्ट्रीशीट में अब तक मृतक हिस्ट्रीशीटर का अतिशीघ्र सत्यापन कर उनका HS खाका नष्ट कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
- (IV). अवैध खनन और अवैध परिवहन में सम्बन्धित विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं।
- (V). ऑपरेशन कन्विक्शन एवं ऑपरेशन त्रिनेत्र के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही में प्रगति लाए।

गोष्ठी में अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी, क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय, क्षेत्राधिकारी नगर श्री राज कमल, क्षेत्राधिकारी मऊ श्री जयकरन सिंह, वाचक पुलिस अधीक्षक श्री परितोष दीक्षित, प्रभारी सोशल मीडिया/साइबर सेल श्री निशिकान्त राय, प्रतिसार निरीक्षक श्री शिवनारायण एवं समस्त थाना/चौकी प्रभारी उपस्थित रहे।